

# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या  
15/91/2025

रजि० नं०  
2025/256

प्रवेश तिथि  
02.05.2025

निर्णय दिनांक  
28.05.2025

1. JM FINANCIAL ASSET RECONSTRUCTION COMP. LTD. 7<sup>TH</sup> FLOOR CNERGY APPASAHEB MARATHE MARG PRABHADEVI MUMBAI-400025

प्रार्थी

## बनाम

1. Satish Kumar (Borrower)

Resident Address: Flat/House No. 234/8 Pocket No. Kaushik Sadan, Hans Enclave Near Rajiv Chowk Gurgaon Haryana 122001

Also at- Office Address- Flat/House No. Digital Design Solution Plot No. 1245/7/3, Building No. 3<sup>rd</sup> Floor Ganpati Complex Near A Tul Kataria Chowk Gurgaon-122001.

Also at- Property Address- H/Flat No. PR4/402 Floor No. 4<sup>th</sup> Krish City II, Bhiwadi Vill- Tapukada Tehsil Tapukada District Khairthal-Tijara 301019

अप्रार्थी



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्वोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्वूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

## ---:: निर्णय ::---

प्राधिकृत अधिकारी, JM FINANCIAL ASSET RECONSTRUCTION COMP. LTD. 7<sup>TH</sup> FLOOR CNERGY APPASAHEB MARATHE MARG PRABHADEVI MUMBAI की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्वोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्वूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी को 1743029/-रु.-(अक्षरेन- सतरह लाख तेतालिस हजार उनतीस रुपये मात्र) का ऋण प्रदान किया था। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर साम्यिक बन्धक सम्पत्ति H/Flat No. PR4/402 Floor No. 4<sup>th</sup> Krish City II, Bhiwadi Vill- Tapukada Tehsil Tapukada District Khairthal-Tijara अन्तर्गत स्वामित्व Satish Kumar प्रार्थी बैंक के समक्ष बन्धक रखी गई है। अप्रार्थी द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक बैंक द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत पंजीकृत नोटिस मियादी 60 दिन दिनांक 29.08.2023 को भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी बैंक को नहीं की। बैंक ने उपरोक्त परिसम्पत्ति को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे बैंक के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति H/Flat No. PR4/402 Floor No. 4<sup>th</sup> Krish City II, Bhiwadi Vill- Tapukada Tehsil Tapukada District Khairthal-Tijara अन्तर्गत स्वामित्व Satish Kumar का कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है, कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार दिनांक 29.08.2023 को धारा 13 (2) के तहत नोटिस जारी कर जरिये रजिस्टर्ड डाक अप्रार्थी को भिजवाया गया कि कुल बकाया 1743029/-रु.-(अक्षरेन- सतरह लाख तेतालिस हजार उनतीस रुपये मात्र) एवं इसके पश्चात् का ब्याज एवं अन्य खर्चे सहित नोटिस की तारीख के 60 दिन में भुगतान कर दें किन्तु समयावधि समाप्त होने के उपरान्त भी ऋण की अदायगी नहीं गई। जिससे

अप्रार्थी द्वारा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं किया जाना स्पष्ट है। सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः सिक्यूरिटी के रूप में रखी गई सम्पत्ति H/Flat No. PR4/402 Floor No. 4<sup>th</sup> Krish City II, Bhiwadi Vill- Tapukada Tehsil Tapukada District Khairthal-Tijara अन्तर्गत स्वामित्व Satish Kumar का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक को सम्मलवाने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय प्रति तहसीलदार टपूकडा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि रहन रखी गई H/Flat No. PR4/402 Floor No. 4<sup>th</sup> Krish City II, Bhiwadi Vill- Tapukada Tehsil Tapukada District Khairthal-Tijara अन्तर्गत स्वामित्व Satish Kumar, को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्मलवाया जावे। रहन रखी सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेंवे तथा कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भिवाडी को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थी बैंक कब्जा लेने की तिथि व समय से पुलिस अधीक्षक भिवाडी को सूचित करें। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(किशोर कुमार)  
जिला कलक्टर  
खैरथल-तिजारा (राजस्थान)  
खैरथल-तिजारा